न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 31/2019, जिला सीकर

1. सैय्यद मोहम्मद शब्बीर पुत्र श्री सिराज अली, जाति–मुसलमान, निवासी वार्ड नं. 11, मोहल्ला जमीदारान (ढाणी), सीकर, राजस्थान हाल निवासी–यूनिवर्सल गार्डन, फ्लेट नं. 1301, अमरूत नगर, जोगेश्वरी, वेस्ट मुम्बई–400102

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. भूमिधारक जरिये तहसीलदार सीकर, जिला सीकर (राज.)
2. सचिव नगर परिषद, सीकर। (राज.)

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सीकर दिनांक 09.11.2011 जिसमें भूमि को मन्दिर माफी के नाम अंकित किया गया के विरूद्ध

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट हरलाल सिंह ।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –16.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 9.11.2011 के खिलाफ प्रस्तुत प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि भूमि धारक तहसीलदार सीकर ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत वाद उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम सीकर के खसरा नम्बर 495, 494, 587, 588, 589, 424, 254, 627, 413, 415, 526, 527, 528, 416, 94, 512, 513, 616, 194, 60, 160, 251, 575, 496, 497, 273, 521, 522, 86, 22 कुल किता 30 कुल रकबा 656 बीघा 1 बिस्वा मिसल हकियत के अनुसार माफी मन्दिर नाबालिग मुर्ति के नाम दर्ज थे। उपरोक्त पुराने नम्बरों के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नये नम्बर डाले गये हैं, जो वर्तमान में अलग अलग खातेदार के नाम है। उक्त पुराने नम्बर के नवीन खसरा नम्बर को माफी मन्दिर नाबालिग मूर्ति के नाम से खातेदारी में खातेदार घोषित किया जावे।

तहसीलदार सीकर के उक्त वाद पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2011 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया गया एवं विवादित आराजी पर संबंधित मूर्ति मन्दिर के नाम खातेदारी अंकित कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर के उक्त आदेश दिनांक 09.11.2011 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 09.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्टस खसरा नम्बर 194 जिसके हाल खसरा नम्बर 648, रकबा 0.079, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.15, वाके ग्राम सीकर के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हें बिना पक्षकार बनाये व बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा 4 बीघा के खातेदारा चौथमल पुत्र कजोडमल माली थे एवं सुखेला माली खातेदार थे तथा खसरा नम्बर 194/4 रकबा 4 बीघा के खातेदार भूरा वल्द हुक्मा माली खातेदार काश्तकार थे। सम्वत् 2012 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस वक्त इन व्यक्तियों का नाम का तकार के कॉलम में अंकित था तथा यही उक्त खसरों नम्बरों की भूमि को काश्त करते थे तथा भूमि कभी भी मन्दिर की खुद काश्त में काश्त करते थे तथा भूमि कभी भी मन्दिर की खुद काश्त में अंकित नहीं रही तथा उक्त भूमि का मन्दिर मूर्ति से किसी तरह से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा। भूमि खसरा नम्बर 194/2 रकबा 4 बीघा का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान करने पर भूमि रंगलाल पुत्र सुखलाल, महाजन के नाम अंकित की गई थी तथा खसरा नम्बर 194/2 का बेचान रंगलाल पुत्र सुखलाल जाति महाजन द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान करने पर नामान्तरकरण संख्या 620 के द्वारा भूमि बेनी माधवर गोकुलेन्द्र, चन्द्रकान्त पुत्रान सत्यनारायण निवासी नेछवा के नाम अंकित की गई। भू–प्रबन्ध में गत खसरा नम्बर 194/2 के नये खसरा नम्बर 648 रकबा 0.79 हैक्टेयर बनाये गये तथा खसरा नम्बर 194/2 का एक अन्य नम्बर 647 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.01 हैक्टेयर कायम किये गये। अपीलार्थी ने भूमि गत खसरा नम्बर 194/2 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 194/1 में से निम्नानुसार विक्रय पत्रों से भूमि क्रय की है।

1. यह कि एक विक्रय पत्र खसरा नम्बर 194/2 में से श्रीमती हनीमा पत्नी स्व. आमिन खोखर, दीनमोहम्मद पुत्र स्व. आमिन खोखर, दीनमोहम्मद पुत्र स्व. आमिन खोखर, मोहम्मद इमरान पुत्र स्व. आमिन खोखर, मोहम्मद आरिस पुत्र स्व. आमिन खोखर, समस्त जाति–मुसलमान खोखर निवासी–वार्ड नम्बर 9, मोहल्ला व्यापारियान आजाद स्कूल के पीछे, सीकर राजस्थान से दिनांक 08.05.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उनके द्वारा पूर्व खातेदार बेनी माधव गोकुलेन्द्र एवं चन्द्रकान्त पुत्र श्री सत्यनारायण से भूमि क्रय की थी वो अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैचान कर दी तथा विक्रय पत्र को दिनांक 15.05.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द 1047 में पृष्ठ संख्या 27 क्रम संख्या 2015003054 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3577 के पृष्ठ संख्याा 2015 से 231 पर चस्पा किया गया।
2. गत खसरा नम्बर 192/2 में से ही जगदीश प्रसाद ढाका पुत्र मोहन लाल ढाका, सावर मल पुत्र चुनाराम, रफीक खा पुत्र नवी बक्स, नवाब अली का हिस्सा जो उन्होनें आमिन पुत्र हुसैन खां खोखर से क्रय किया था तथा आमिन खां पुत्र हुसैन खॉ ने भूमि के पूर्व खातेदारा बेनी माधव, गोकुलेन्द्र व चन्द्रकान्त से क्रय किया था। उक्त हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2015 को ही अपीलान्ट ने क्रय कर लिया तथा विक्रय पत्र को पंजीयन हेतु उप पंजीयक सीकर के समक्षा प्रस्तुत कर दिया जिसे उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 15.05.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1047 में पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 2015003055 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3577 के पृष्ठ संख्या 232 से 248 पर चस्पा किया गया।
3. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 194/2 में से ही एक अन्य विक्रय पत्र जो इन्तजार अली पुत्र इस्लामुद्दीन जाति मुसलमान, निवासी बैसवा, तहसील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

फतेहपुर, जिला सीकर ने खसरा नम्बर में से अपने भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 10.08.2015 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र को पंजीयन हेतु उप पंजीयक सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिसे उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 18.11.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1161 पृष्ठ संख्या 198 क्रम संख्या 201703327108288 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4036 के पृष्ठ संख्या 524 से 536 पर चस्पा किया गया।

4. यह कि इसी प्रकार खसरा नम्बर 194/2 में से जगदीश प्रसाद ढाका पुत्र मोहन लाल ढाका व सावरमल पुत्र श्री चुन्नाराम ने अपना अन्य हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2015 के जरिये अपीलान्ट को बेचान कर दिया तथा विक्रय पत्र को उप पंजीयक सीकर के समक्ष दिनांक 15.05.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1047 में पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 2015003056 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3577 के पृष्ठ संख्या 249 से 264 पर चस्पा किया गया।

5. यह कि अपीलान्ट ने गत खसरा नम्बर 194/1 में से उसकी स्वामीधारी श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. हरदेव सिंह गढवाल से उसके द्वारा धारित आवासीय भूखण्ड मय निर्मित दिनांक 15.10.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर लिया जिसे उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 17.10.2012 को 1 जिल्द संख्या 872 में पृष्ठ संख्या 55 क्रम संख्या 2012012673 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2878 के पृष्ठ संख्या 15 से 26 पर चस्पा किया गया।

6. यह है कि इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 194/1 में से हरदम सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह व श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. हरदेव सिंह के स्मामित्व व अधिकार का एक भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2011 को क्रय कर लिया जिसके उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 30.11.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 801 के पृष्ठ संख्या 72 क्रम संख्या 2011014616 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2594 के पृष्ठ संख्या 161 से 173 पर चस्पा किया गया।

7. यह है कि इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 194/1 में से हरदम सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह व श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. हरदेव सिंह के स्मामित्व व अधिकार का एक भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2012 को क्रय कर लिया जिसके उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 12.10.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 811 के पृष्ठ संख्या 101 क्रम संख्या 2012000519 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2635 के पृष्ठ संख्या 1 से 14 पर चस्पा किया गया।

8. यह है कि इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 194/1 में से हरदम सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह व श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. हरदेव सिंह के स्मामित्व व अधिकार का एक भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.01.2012 को क्रय कर लिया जिसके उप पंजीयक सीकर ने दिनांक 10.01.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 811 के पृष्ठ संख्या 4 क्रम संख्या 2012000422 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2633 के पृष्ठ संख्या 25 से 37 पर चस्पा किया गया।

उपरोक्त भूमि गत खसरा नम्बर 194 का भाग है, जिसके पश्चातवर्ति वर्षों में खसरा नम्बर 194/1 व 194/2 व 194/1/1 व 194/4 बनाये गये है तथा हाल भू–प्रबन्ध ने उक्त गत खसरा नम्बर 194/2 के नये खसरा नम्बर 648 रकबा 0.79 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 647 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 646 रकबा 0.01 हैक्टेयर कायम किये गये तथा खसरा नम्बर 194/1/1 के नये खसरा नम्बर 641 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.15 हैक्टेयर कायम किये गये तथा अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि उपरोक्त खसरों नम्बरों में निहित है। हाल खसरा नम्बर 641 रकबा 0.07 हैक्टेययर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.15 हैक्टेयर की भूमि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही हो जाने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 30.09.2005 द्वारा भूमि नगर परिषद सीकर के नाम अंकित की गई तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 648 रकबा 0.79 हैक्टेयर की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 519 दिनांक 16.03.2001 के द्वारा नगर परिषद सीकर के नाम अंकित की गई, इसलिए मौजूदा अपील में नगर परिषद सीकर को पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त भूमि कभी भी मन्दिर माफी की नहीं रही। जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस समय भूमि मन्दिर की खुद काश्त की भूमि नहीं थी बल्कि अन्य काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती थी तथा उसी आधार पर पूर्व स्वामित्व अधिकारियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जो विधि अनुसार था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मनगढंत तरीके से भूमि मन्दिर के नाम अंकित करने के आदेश पारित किये गये जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया कि खातेदारों को सुना ही नहीं गया इसलिये प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर खातेदारों को नोटिस देकर पुनः निर्णय करने हेतु आदेशित किया जाए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिक है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को इस आधार पर निरस्त करवाना चाहते है कि अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदारान को ना तो नोटिस दिए व ना ही कोई प्रक्रिया की पालना की तथा एक ही आदेश से धारा 136 की कार्यवाही मानते हुये विवादित भूमि को संबंधित मूर्ति मन्दिर के नाम खातेदारी अंकित करते हुये रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर में भूमिधारक, तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 5.09.2011 द्वारा बाबत धारा 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया गया। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 09.11.2011 द्वारा पुराने खसरा नम्बर ग्राम सीकर की भूमि कुल किता 30 कुल रकबा 665 बीघा 1 बिस्वा संवत 1998 में अलग–अलग मंदिरों की मूर्ति के नाम खातेदारी में दर्ज थी। संवत् 1998 के बाद पहली बार संवत् 2014–17 में जमाबन्दी लेखन का कार्य किया गया। इस बीच में केवल खसरा लेखन का कार्य किया गया था। जमाबंदी नहीं लिखी गई थी। जब जमाबन्दी बनाई गई तब मूर्ति मंदिर की खातेदारी के स्थान मूर्ति मंदिर को जागीदार, बिस्वेदार, भूमालिक के कॉलम में अंकन करके लिखा गया। जबकि मंदिर मूर्ति जागीरदार, बिस्वेदार, भूमालिक नहीं थी। वह मात्र खातेदार थी अर्थात संवत 1998 के बाद लिखी गई जमाबंदी में बिना की आदेश के मूर्ति मंदिर को खातेदारी के स्थान पर जंमीदार, जागीरदार, बिस्सेदार लिख दिया गया। यह भू अभिलेख लेंखन में गलती की गई थी। यह गलती बाद की जमाबंदियों में भी होती गई। संवत 2022–25 में जो जमाबन्दी लिखी गई, उसमें मंदिर मूर्ति का नाम बिना किसी आदेश से हटा दिया गया। जबकि भूअभिलेख लेखन में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी का आदेश होना चाहिए और आदेश के आधार पर नामान्तरकरण खुलना चाहिए। परन्तु इस प्रकरण में कोई सक्षम अधिकारी का आदेश भी नहीं हुआ और ना ही कोई नामान्तरकरण खोला गया, सीधा मूर्ति मंदिर का नाम हटाकर उसके पूजारी अथवा अन्य कृषक के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है। परन्तु उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

धाराओं में परप्यूचल माईनर की खातेदारी पर किसी अन्य को खातेदारी देने का प्रावधान नहीं है। इसलिये किसी भी धारा में नाबालिग मंदिर मूर्ति की खातेदारी पर पूजारी अथवा किसी अन्य की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार पटवारी स्तर पर बिना किसी आदेश से जमाबन्दी लेखन के समय मूर्ति मंदिर की खातेदारी को हटाकर पूजारी अथवा कृषकों के नाम खातेदारी की गई है, उसमें किसी सक्षम अदालत अथवा अधिकारी का आदेश नहीं था और ना ही कोई नामान्तरकरण खोला गया था। इस प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेशित किया गया है कि विवादित आराजी पर संबंधित मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी अंकिर कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। इस प्रकरण में परपीच्वल माइनर मूर्ती मंदिर सं. 1998 से लगातार खातेदार था जो सं. 2014–17 की जमाबन्दी में बिना आदेश बिना नामान्तरकरण जागीरदार अंकित कर दिया गया। जमाबन्दी 2022–25 में बिना किसी सक्षम आदेश के जागीरदार अंकित कर दिया गया। जमाबन्दी 2022–25 में बिना किसी आदेश बिना किसी नामान्तरकरण पुजारियों/कृषकों को खातेदार अंकित कर दिया गया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में इस बिन्दु पर कोई भी आपत्ति नहीं की गयी कि पूर्व में विवादित भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज थी, परन्तु यह भी दस्तावेजात/साक्ष्य भी प्रस्तुत नही कर पाये कि किस प्रकार मन्दिर माफी की भूमि विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज की गई। वकील अपीलान्ट अपने पक्ष में यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि किस प्रकार विवादित भूमि माफी मन्दिर से खातेदारी में दर्ज की गई, किस आदेश से दर्ज की गई तथा अगर बिना किसी आदेश से दर्ज की गई भूमि क्यों नहीं रिकॉर्ड की गलती मानते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा क्यों नहीं इसे दुरूस्त की जाए। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि खातेदारों को सुना ही नहीं गया इसलिये प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर खातेदारों को नोटिस दे कर पुनः निर्णय करने हेतु आदेशित किया जाए। प्रश्नगत भूमि की मौके की रिपोर्ट देखी गई। जिस पर अधिकतर भूमि पर आबादी बसी हुई है, मकानात बने हुए हैं तथा कुछ प्रकरणों में 90 बी की कार्यवाही करते हुए आवासीय रूपान्तरण भी हो गया है। मन्दिर माफी की भूमि एक तरह से खुर्द बुर्द कर दी गई है या की जा रही है इसलिये अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया जा सकता। खातेदारों के अगर कोई अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय से अपने अधिकारों की धोषणा कराये। अगर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र अपीलान्ट्स के पक्ष में है तो वे इन परिपत्रों के आधार पर अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करें। इनके अधिकारों का निर्धारण नामान्तरकरण की सरसरी प्रक्रिया में किया जाना सम्भव नहीं है। यह जिम्मेदारी तो खातेदारों की है कि वे अपने खातेदारी अधिकार अगर उन्हें है तो वे सक्षम न्यायालय से प्राप्त करें ना कि राजस्व रिकार्ड में बिना सक्षम आदेश के हुए सिर्फ एक इन्द्राज के आधार पर। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2011 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 09.11.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/10/25

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner